# निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
# उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 80/2023
दायरा दिनांकः—19.12.2023
निर्णय दिनांकः— 31.10.25

## उनवान

1. रामस्वरूप आयु 35 वर्ष पुत्र गोपीलाल जाति चमार निवासी राहरोन तहासील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामदयाल आत्मज गंगाराम जाति चमार निवासी ग्राम भटखेडी तहसील छवडा जिला बांरा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 31.10.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राकेश कुमार सोनी — प्रार्थी
2. श्री दीपक कुमार वर्मा— अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम राहरोन की भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार खसरा नंबर 162/1 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड है। राजस्थान सरकार पगडंडिया तथा रास्ते (चरागाह के लिए नहीं) दर्ज रिकार्ड है। ग्राम राहरोन की भूमि खसरा नंबर 262 की कुल भूमि 16 बीघा 12 बिस्वा दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड थी। इस भूमियात में से प्रार्थी के पिता गोपी (गोपीलाल) आत्मज चौत्या जाति चमार ने संवत् 2024 में उक्त भूमियात में से 03 बीघा भूमि को फाड़—तोड़कर पत्थर आदि साफ कर काबिल काश्त बनाया था। जिससे गोपी अपने परिवार का पेट पालन करता था। तब से ही उक्त भूमियात गोपी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। गोपी का स्वर्गवास हो जाने पर उक्त भूमियात वर्तमान में उसके दो पुत्र रामस्वरुप व महेन्द्र के कब्जे में 01 बीघा 10 बिस्वा—01 बीघा 10 बिस्वा भूमि कब्जे काश्त में स्थित है। जिससे परिवार का पेट पालन होता है। ग्राम राहरोन की उक्त कुल भूमि 16 बीघा 12 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि अप्रार्थी कम 1 को एलोट कर उसके खातेदारी में दर्ज कर दी गई। जबकि अप्रार्थी कम 1 के काफी पूर्व से प्रार्थी के पिता गोपी व उनके बाद प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी कम 1 के खसरा नंबर 162 रकबा 05 बीघा व शेष भूमि खसरा नंबर 162/1 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड है। प्रार्थी एवं उसके पिता का निरंतर कब्जा काश्त गत 55 वर्षों से भी अधिक समय से निरंतर चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त भूमियात पर एडवर्स



उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा

(गोपीलाल) आत्मज चैत्या जाति चमार ने संवत् 2024 में उक्त भूमियात में से

.....2

ान के आधार पर तथा भूमियात को काबिल काश्त बनाकर खुद काश्त के आधार पर ातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी कम 1 की भूमि व प्रार्थी की भूमि के मध्य रास्ता स्थित है। किंतु अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी को काश्त करने में अडचन पैदा करता है, लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा रहता है। जिसका अप्रार्थी कम 1 को कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी एवं उसके पिता उक्त भूमियात पर 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना भी निरंतर जमा करता चला आ रहा है। प्रार्थी एवं उसके पिता निरंतर जुर्माना जमा कराने व संवत् 2024 से भूमियात कब्जे काश्त में चली आने से प्रार्थी पिता के स्थान पर दोनों पुत्रों को डेढ़–डेढ बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी निरंतर कब्जे काश्त की भूमि ग्राम राहरोन की खसरा नंवर 162/1 की कुल भूमि 11 बीघा 12 बिस्वा में से 01 बीघा 10 बिस्वा–01 बीघा 10 बिस्वा पर अप्रार्थी कम 1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्य सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नही हुआ जवाब अप्रार्थी बन्द किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल खसरा परिवर्तन सम्वत् 2031–32 नकल खसरा परिवर्तन सम्वत् 2041, नकल खसरा परिवर्तन सम्वत् 2078 नकल जमाबन्दी ग्राम राहरोन सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 1 नकल नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी ग्राम राहरोन सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 70 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। विद्वान अधिवक्ता अभिभाषक का कथन है कि विवादित आरजी ग्राम राहरोन तहसील छबड़ा में स्थित है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 162/1 रकबा 11.12 बीघा गेर मुमकिन पहाड पगडंडिया तथा रास्ते (चारागाह के लिए दर्ज है खसरा नम्बर 162 रकबा 16.12 बीघा दर्ज थी इस भूमि में से प्रार्थी के पिता गोपी पुत्र चैत्या जाति चमार ने उक्त भूमि में से 3 बीघा भूमि फाड तोडकर काबिल काश्त बनाया था। तब से उक्त भूमि को गोपी काश्त करता चला आ रहा था उनके स्वर्गवास होने के बाद प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है उक्त भूमि में से 5 बीघा भूमि अप्रार्थी क्रम 1 के आवटंन कर उसके खातेदारी में दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता उनके मरने के बाद प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 के खसरा नम्बर 162 रकबा 5 बीघा तथा शेष खसरा नम्बर 162/1 रकवा 11.12 बीघा राज्य सरकार के नाम दर्ज है उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व उनके पिता का कब्जा लगभग 55 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता उक्त भूमि पर 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत जुर्माना जमा कराने व सम्वत् 2024 से लगातार कब्जा होने से प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है अप्रार्थी, प्रार्थीगण के कब्जे काश्म की भूमि में बाधा उत्पन्न करतें है जिन्हे किसी प्रकार को कोई अधिकार नही है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है खसरा नम्बर 162 रकबा 16.12



उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

(गोपीलाल) आत्मज चैत्या जाति चमार ने संवत् 2024 में उक्त भूमियात में से

.....2

में से अप्रार्थी क्रम 1 को 5 बीघा भूमि आवटंन की गई थी अप्रार्थी का आवटंन के द से भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीगण जबरन अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहता है प्रार्थीगण धारा 91 का जुर्माना जमा नही करतें है प्रार्थीगण कब्जा बताकर सरकारी भूमि को खातेदारी से दर्ज करवाना चाहतें है अप्रार्थी का अपने खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र बनावटी एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा परिवर्तन सम्वत् 2031–32, 2041,2078 के अनुसार प्रार्थीगण के पिता गोपी एवं प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम राहरोन सम्वत् 2072–75 के अनुसार खसरा नम्बर 162/1 रकबा 11.12 बीघा भूमि गैर मुमकिन पहाड दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम राहरोन सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 70 में रामदयाल पुत्र गंगाराम जाति चमार बतौर खातेदार दर्ज है प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 162/1 की भूमि बतौर अतिक्रमी दर्ज होना पाया जाता है तथा खसरा नम्बर 162 का अप्रार्थी क्रम 1 खातेदार कृषक है प्रार्थीगण बतौर अतिक्रमी एवं कब्जे काश्त के आधार पर एडवर्स पजेशन होने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहतें है। अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। क्योकि अप्रार्थी खातेदार कृषक है तथा प्रार्थीगण का सरकारी भूमि पर बतौर अतिक्रमी कब्जा है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही है है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

## :: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)



(गोपीलाल) आत्मज चैत्या जाति चमार ने संवत् 2024 में उक्त भूमियात में से

.....2